न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 141 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 244)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. गुरपिन्द्र सिंह पुत्र बलकरण सिंह जाति जटसिख निवासी 16 / 17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर। 2. बलकरण सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी 16 / 17 एच घनजातियां तहसील श्रीकरणपुर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 25.07.2024

उपस्थितः 1.श्री सुधीर कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 12.03.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 16 / 17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 61 / 60 के मुरब्बा नम्बर 89 की कुल 1.264 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 गुरपिन्द्र सिंह के नाम व इसी चक के खाता संख्या 90 / 89 के मुरब्बा नम्बर 53 की 1.947 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 89 की 0.885 हैक्टेयर, मुरब्बा नम्बर 104 की 0.190 हैक्टेयर कुल 3.022 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 2 बलकरण सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी दिशा में रास्ता होता हुआ वादीगण के मुरब्बा नम्बर 89 के किला नम्बर 25 में प्रवेश करता है। उक्त किला नम्बर 25 से पहले पक्के खाला के उपर पक्की पुलिया भी बनी हुई है। उक्त रास्ता पिछले 50 वर्षो से चल रहा है। वादीगण की भूमि को अन्य कोई रास्ता नहीं है। जमाबन्दी में रास्ता की भूमि कटी हुई है, लेकिन उक्त 0.126 हैक्टेयर भूमि गैरमुमकिन खाला के रूप में दर्ज है। जबकि मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1 ता 5 में कभी कोई खाला नहीं रहा और ना ही कोई खाला मौका पर है। उक्त किलाजात में रास्ता चल रहा है। जिस वादी वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। आज से कुछ रोज पूर्व वादीगण पटवारी हल्का से मिला और उक्त दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया तो उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। जिसके पश्चात वादीगण द्वारा तहसीलदार श्रीकरणपुर के यहां प्रार्थना पत्र पेश करके उक्त दुरूस्ती किये जाने का निवेदन किया, तो तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा श्रीमान् जी के न्यायालय में चाराजोही करने की हिदायत दी। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम राजस्व ग्राम 16 / 17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 प्रत्येक की उतरी दिशा में चल रहे रास्ता की 0.126 हैक्टेयर, जो जमाबन्दी में गैरमुमकिन खाला अंकित है, को दुरूस्त कर रास्ता की भूमि अंकित किये जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2699 दिनांक 21.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 16 / 17 एच के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में गैरमुमकिन खाला(मु.न. 128 / 39) दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच की गई व दैनिक डायरी भरी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

गई, जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 104 में मौके पर किला नम्बर 1,2,3,4,5 में रास्ता चल रहा है एवं उपस्थितजनों ने बताया कि उक्त रास्ता लगभग 50–60 वर्षो से बदस्तूर चल रहा है।

3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 61/60 की प्रति, राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 90/89 की प्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादीगण के द्वारा राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में गैरमुमकिन खाला(मु.न. 128/39) की 0.126 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने बाबत निवेदन किया गया है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 16/17 एच के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में गैरमुमकिन खाला(मु.न. 128/39) दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच की गई व दैनिक डायरी भरी गई, जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 104 में मौके पर किला नम्बर 1,2,3,4,5 में रास्ता चल रहा है एवं उपस्थितजनों ने बताया कि उक्त रास्ता लगभग 50–60 वर्षो से बदस्तूर चल रहा है। सहायक अभियंता तृतीय जल संसाधन खंड रायसिंहनगर मु.श्रीगंगानगर के पंत्राक 883 दिनांक 24.02.2025 के अनुसार चक 16/17 एच के मुरब्बा नम्बर 104 राजस्व, 102 नहरी अथवा पत्थर संख्या 139/99 के सम्बन्ध में तस्दीक चाही गई है। जिसके सम्बन्ध में स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग के स्वीकृत प्लान चक 16/17 एच के मुताबिक मुरब्बा नम्बर 102 नहरी में कोई स्वीकृत खाला विभागीय रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। अतः वादपत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, रिपोर्ट सहायक अभियंता तृतीय जल संसाधन खंड रायसिंहनगर मु.श्रीगंगानगर व वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136–राजस्व भू अधिनियम 1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में गैरमुमकिन खाला(मु.न. 128/39) की 0.126 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.एस.))
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आर.एस.))
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरपिन्द्र सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **141/2024**

निर्णय दिनांक :- 12.03.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार शर्मा उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 16/17 एच घनजातिया, पटवार हल्का मलकाना कलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 104 के किला नम्बर 1, 2, 3, 4, 5 में गैरमुमकिन खाला(मु.न. 128/39) की 0.126 हैक्टेयर भूमि को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 12.03.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 12.03.2025

क्रमांक: रीडर/2025/169

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)